न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

नामांतरण अपील वाद संख्या– 08/2020–2021
ओमप्रकाश दास बनाम् अर्जून राम वगैरह

आदेश

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
13/08/021	अभिलेख उपस्थापित। इस अपील वाद की कार्रवाई अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ की गई है। यह अपील अंचल अधिकारी, रंका के नामांतरण वाद सं0– 70 आर 27/2020–21 में पारित दिनांक 27.11.2020 के विरूद्व दायर किया गया है। अपील वाद की कार्रवाई में निम्न न्यायालय अभिलेख (L.C.R) प्राप्त है। अपीलार्थी व प्रत्यार्थी सं0– 1. अर्जून राम व प्रत्यार्थी 2 कारी राम का जवाब भी दाखिल किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अंचल अधिकारी, रंका द्वारा अपीलार्थी ओमप्रकाश दास के नामांतरण को न कर खारीज कर दिया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा भूमि क्रय से पूर्व छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के धारा 46(1) (B) के तहत न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा के द्वारा वाद सं0– 174/2019 में पारित परमिशन के उपरांत यह भूमि जो वाद की कार्रवाई में अंकित है को निबंधित केवाला से क्रय किए है। क्रय के पश्चात भूमि पर दखल काबिज भी है। जिसे हल्का कर्मचारी व अंचल निरीक्षक ने अंचल अधिकारी, रंका को उक्त नामांतरण मुकदमा में जॉच रिर्पोट में लिखा है। दोनो ने यह स्पष्ट लिखा है कि भूमि का नामांतरण क्रेता के नामे किया जा सकता है परन्तु अंचल अधिकारी ने गलत नियत से अपीलार्थी के नामें नामांतरण न कर नामांतरण की कार्रवाई दिनांक 27.11.2020 खारीज कर दी। जबकि विक्रेता की यह भूमि खतियानी भूमि है। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि अंचल अधिकारी द्वारा जो गलत तरीके से नामांतरण की प्रकिया को खारीज कर दिया गया है उस आदेश पर इस अपील को स्वीकृत किया जाय एवं निम्न भूमि जिसको न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा द्वारा धारा 46 (I)(B) के तहत अर्जून राम वगैरह विक्रेता व ओमप्रकाश दास क्रेता को विक्री करने का परमिशन प्राप्त है। जिसे निबंधित केवाला से ओमप्रकाश दास ने क्रय किया है को नामांतरण करने एवं मांग इनके नामे दर्ज कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का आदेश अंचल अधिकारी, रंका को दिया जाय। प्रत्यर्थी सं0– 1 अर्जून राम व 2 कारी राम दोनों पिता नन्हक राम का कथन है कि इनके द्वारा भूमि बिकी करने हेतु अपर समाहर्ता, गढ़वा के न्यायालय में वाद दायर छाटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के धारा 46 के तहत किया गया था। जहॉ पूरी जॉच पड़ताल के पश्चात बिकी हेतु परमिशन प्राप्त हुआ। एवं निबंधन कार्यालय, गढ़वा में अपर समाहर्ता, गढ़वा के न्यायालय द्वारा ज्ञा0 15/16–20 भेज कर बिकी का आदेश दिया गया तब निबंधन केवाला से ओमप्रकाश दास को भूमि बिकी किये है। उक्त भूमि का नामांतरण केता ओमप्रकाश के नामें किए जाने में कोई आपति प्रत्यर्थी को नहीं है। सभी बिन्दुओं पर गौर करने एवं निम्न न्यायालय अभिलेख, अपर समाहर्ता, गढ़वा के परमिशन वाद में पारित आदेश, अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर गौर करने उपरांत न्यायालय पाती है कि केता अपीलार्थी ओमप्रकाश दास के नामें नामांतरण किया जाना न्याय संगत है। अतः अपील को स्वीकृत करते हुए अपीलार्थी ओमप्रकाश दास के नामें क्रय भूमि जो ग्राम भवरी के खाता सं0– 29 पुराना 122 नया प्लॉट [illegible] 620 [illegible] 108 नया रकबा 0.45 ए0 उ0– नीज बिकेतागण, द0– सत्येन्द्र कुमार [illegible] कहार, पु0– रामचन्द्र कहार, प0– पक्की सड़क को नामांतरण का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, रंका को आदेश के कॉपी की प्रति अनुपालनार्थ भेजे। उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।	

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2022.10.20 00:50:08 +07:00
Location: 192.168.144.182